



ज्ञान शांति मैत्री



आज़ादी का
अमृत महोत्सव

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

कादर नवाज खान
Kadar Nawaz Khan
कुलसचिव
Registrar

दूरभाष / Phone : +91-7152-230902
मोबाइल / Mobile : +91-9422905760

क्रमांक : 34/2021-22/Quarter Allotment/29-7/

दिनांक : 29.11.2023

888

सूचना

विश्वविद्यालय के समस्त रहवासियों को सूचित किया जाता है कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या-18011/2/2015-Pol.III दिनांक 10.07.2023 के आलोक में आवासों का लाइसेंस शुल्क निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

आवासों का प्रकार	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	संशोधित लाइसेंस शुल्क (01.07.2023 से प्रभावी)
Type-I	Upto 30	210.00
Type-II	26.5 to 50	440.00
Type-III (C Quarter & T3)	44 to 65	660.00
Type-IV (D Quarter)	59 to 91.5	880.00
Type-IV (Special) (Transit & T4)	59 to 91.5	930.00
Type-VA	Upto 106	1650.00
Type-VB (T5 Qtr.)	Beyond 106	1750.00
Type-VIA (T6 Qtr.)	Upto 159.5	2170.00
Type-VIB	Beyond 159.5	2590.00
Type-VII	189.5 to 224.5	3040.00
Type - VIII	243 to 522	5430.00

उक्त संशोधित दरें दिनांक 01.07.2023 से प्रभावी होगी।

MSEDCL/MSEB द्वारा दिनांक 01.04.2023 से घरेलू उपयोग में आने वाली बिजली की दर में निम्नानुसार वृद्धि की गई है:-

वर्ग/प्रकार	बिजली दर (Energy Charges)	Fixed Charges	वहन आकार (Wheeling Charges)	बिजली शुल्क (Electricity Charges)	अन्य शुल्क (Other Charges)
LT-1		₹ 116	₹ 1.17 प्रति यूनिट	16% of fixed charge + Energy Charges + Wheeling Charges	1% of Fixed charge + Energy Charges + Wheeling Charges
1-100 यूनिट	₹ 4.41 (प्रति यूनिट)				
101-300 यूनिट	₹ 9.64 (प्रति यूनिट)				
301-500 यूनिट	₹ 13.61 (प्रति यूनिट)				
Above 500 यूनिट	₹ 15.57 (प्रति यूनिट)				

आवासों के लाइसेंस शुल्क की संशोधित दरें दिनांक 01.07.2023 से तथा MSEDCL/MSEB द्वारा वृद्धि की गई उपरोक्त बिजली की दरों को दिनांक 01.04.2023 से लागू किया जाता है। इसके कारण पूर्व के बिलों के अंतर को आगामी 03 महीनों में क्रमशः समायोजित किया जाएगा।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

कादर नवाज
(कुलसचिव)
29/11/23

प्रतिलिपि:

- माननीय कुलपति महोदय की ओर सूचनार्थ।
- वित्ताधिकारी
- प्रभारी लीला (विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)
- कुलसचिव कार्यालय 5. संबंधित फाइल